

International Multidisciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board. Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Dr. T. Manichander

International Advisory Board

Kamani Perera Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka	Mohammad Hailat Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken	Hasan Baktir English Language and Literature Department, Kayseri
Janaki Sinnasamy Librarian, University of Malaya	Abdullah Sabbagh Engineering Studies, Sydney	Ghayoor Abbas Chotana Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]
Romona Mihaila Spiru Haret University, Romania	Ecaterina Patrascu Spiru Haret University, Bucharest	Anna Maria Constantinovici AL. I. Cuza University, Romania
Delia Serbescu Spiru Haret University, Bucharest, Romania	Loredana Bosca Spiru Haret University, Romania	Ilie Pinteau, Spiru Haret University, Romania
Anurag Misra DBS College, Kanpur	Fabricio Moraes de Almeida Federal University of Rondonia, Brazil	Xiaohua Yang PhD, USA
Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania	George - Calin SERITAN Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, IasiMore

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India Ex - VC. Solapur University, Solapur	Iresh Swami N.S. Dhaygude Ex. Prin. Dayanand College, Solapur	Rajendra Shendge Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur
R. R. Patil Head Geology Department Solapur University,Solapur	Narendra Kadu Jt. Director Higher Education, Pune	R. R. Yalikal Director Managment Institute, Solapur
Rama Bhosale Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel	K. M. Bhandarkar Praful Patel College of Education, Gondia	Umesh Rajderkar Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik
Salve R. N. Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur	Sonal Singh Vikram University, Ujjain	S. R. Pandya Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai
Govind P. Shinde Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai	G. P. Patankar S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka	Alka Darshan Shrivastava Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar
Chakane Sanjay Dnyaneshwar Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune	Maj. S. Bakhtiar Choudhary Director,Hyderabad AP India.	Rahul Shriram Sudke Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore
Awadhesh Kumar Shirotriya Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)	S.Parvathi Devi Ph.D.-University of Allahabad	S.KANNAN Annamalai University,TN
	Sonal Singh, Vikram University, Ujjain	Satish Kumar Kalhotra Maulana Azad National Urdu University



डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का अर्थशास्त्रीय चिंतन

डॉ. अशोक कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र),

राजकीय महिला महाविद्यालय हरैया, बस्ती (उ.प्र.), भारत।

प्रस्तावना :-

सामान्यतया अधिकांश जनसमुदाय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर को संविधान निर्माता, कानून एवं विधि विशेषज्ञ के रूप में ही जानता है। अधिकांश लोग इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि बाबा साहेब के अध्ययन एवं शोध का मुख्य विषय अर्थशास्त्र ही रहा है। उन्होंने सन् 1913 ई. में अमेरिका के कोलम्बिया विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश लिया। उन्होंने एम.ए. की उपाधि अर्थशास्त्र विषय में ही प्राप्त की। एम.ए. की उपाधि प्राप्त करने हेतु उन्होंने 'एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड फिनॉन्स ऑफ दी ईस्ट इण्डिया कम्पनी' विषय पर शोध प्रबंध लिखा था। साथ ही पी-एच.डी. उपाधि के लिए उन्होंने एक और शोध प्रबंध लिखा जिसका शीर्षक था—“नेशनल डिविडेन्ड ऑफ इण्डिया—ए हिस्टोरिक एण्ड एनालिटिकल स्टडी”, जो बाद में एक पुस्तक के रूप में “दी इवाल्यूशन ऑफ प्राविन्शियल फिनान्स इन ब्रिटिश इण्डिया” शीर्षक से प्रकाशित हुआ। उन्होंने अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध लंदन विश्वविद्यालय के ‘लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स एण्ड पॉलिटिकल सायंस’ से अर्थशास्त्र विषय की सर्वश्रेष्ठ उपाधि डी.एस-सी. प्राप्त की। उनके डी.एस-सी. के शोध प्रबंध का विषय—‘दी प्राब्लम ऑफ रूपी—इट्स ओरिजिन एण्ड इट्स साल्यूशन’ था जो बाद में एक पुस्तक के रूप में ‘प्राब्लम ऑफ रूपी’ शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक की भूमिका प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रो. एडविन कैनन द्वारा लिखी गयी है जिसमें उन्होंने डॉ. अम्बेडकर के संबंधित विषय पर कार्य की अत्यधिक प्रशंसा की है।

बाबा साहेब ने अपने विभिन्न शोध ग्रंथों में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को भारतीय जनमत के सम्मुख रखा। उनके पी-एच.डी. का शोध ग्रंथ इतना समसामयिक था कि बजट अधिवेशन के दौरान हर भारतीय विधायक इसका उद्धरण दिया करता था। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का अर्थशास्त्रीय चिंतन उनके द्वारा लिखित विभिन्न शोध-ग्रंथों, पुस्तकों, संविधान सभा की बहसों, उनके द्वारा प्रकाशित विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं तथा बाबा साहेब पर लिखी गयी विभिन्न पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं में खोजा जा सकता है। उपयुक्त के अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर मेरी दृष्टि में बाबा

साहेब के अर्थशास्त्रीय चिंतन को निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत स्पष्ट किया जा सकता है—

1. प्रशासन एवं वित्त:-

डॉ. अम्बेडकर के ‘ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रशासन एवं वित्त’ नामक शोध प्रबंध के अनुसार भारत में कम्पनी के 66 वर्षों के इतिहास में उसने दो ही बड़े काम किये हैं। पहला भारतीय धन को युद्ध में पानी की तरह बहाना और दूसरा युद्ध विराम के वर्षों में कर्ज में दबे भारतीयों का दिवाला निकाल देना ताकि कम्पनी के हिस्सेदार आपस में लाभ बाँट सकें। इस प्रकार ब्रिटिश राज में कम्पनी का वित्तीय प्रशासन इतना अव्यवस्थित हो गया था कि ‘मुनाफा और कर्ज तो विदेशी बढ़ा रहे थे और नुकसान उठा रहे थे भारतीय’। कम्पनी के राजकीय और वाणिज्यिक कार्य एक ही में हो जाने से उसका वित्तीय प्रशासन भी अत्यधिक उलझ गया था।

वर्तमान परिस्थितियों में यदि ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर भारत की किसी बड़ी निजी कंपनी को रखा जाय तो यह तथ्य स्पष्टतः सामने आयेगा कि जिस प्रकार विदेशी शोषण द्वारा हमारी सम्पत्ति लूटी गयी उसी प्रकार स्वदेशी आर्थिक विषमता हमारी गरीब जनता पर कहर बनकर टूट रही सी प्रतीत होती है। देश में विभिन्न प्रकार के बड़े घोटालों से जो आर्थिक अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है वह सार्वत्रिक विषमता को उत्पन्न कर रही है जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूँजीवाद और जातीय भेद बाधक बनकर सामाजिक असंतोष को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।

2. वित्त एवं विकेन्द्रीकरण :-

बाबा साहेब का दूसरा शोध प्रबंध ‘ब्रिटिश भारत में प्रान्तीय वित्त का विकास’ अथवा ‘साम्राज्य के वित्त का प्रान्तीय विकेन्द्रीकरण’ भी आर्थिक सिद्धान्त में एक नई दृष्टि का सृजन



करता है। बाबा साहेब ने इसे एक मोनोग्राफ के रूप में प्रस्तुत किया है। यह मोनोग्राफ विश्लेषणात्मक और ऐतिहासिक भूमिका में वित्त विषय के ऐसे पहलुओं पर प्रकाश डालता है जिसको पहले किसी ने छुआ तक नहीं था।

विश्व में आज भी जो बड़ा प्रश्न है वह यह है कि केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार सार्वजनिक राजस्व का व्यय किस ढंग से और कितना-कितना करते रहें। यही तथ्य इस शोध ग्रंथ का भी प्रतिपाद्य विषय है। ग्रंथ के प्राक्थन में ही प्रो. सेलिगमैन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी सरकार चाहे वह केन्द्रीय हो या प्रान्तीय दोनों को ही अपने आर्थिक भार का वहन करना चाहिए। करों को केन्द्र और राज्य में आवंटित किये जाने या उनके बीच करों के वितरण के भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न सिद्धान्त अपनाये गये हैं।

भारत में केन्द्र और राज्य के वित्ताधिकार स्थानीय सत्ता के संदर्भ में किस प्रकार विकसित हुए हैं, यही डॉ. अम्बेडकर के प्रस्तुत शोध ग्रन्थ का विषय है।

डॉ. अम्बेडकर ने अपने इस शोध ग्रंथ में यह सिद्ध कर दिया है कि इम्पीरियल भारत के केन्द्र की मुट्ठी में करदताओं से जमा किया हुआ जो खजाना था उसका धीरे-धीरे पृथक सरकारों में भी जाना प्रारम्भ हुआ। जब पूँजी के प्रादेशिक सत्ता में बंटने का दौर रहा तब केन्द्र, प्रदेश और जनता ये तीन पक्ष अपने तीन पृथक दृष्टि के हिमायती थे और उनकी इन दृष्टियों की भिन्नता से इस पद्धति के यश-अपयश का मल्यांकन हो सकता था। केन्द्र की दृष्टि थी कि वह अपने खजाने में इससे कितना बड़ा लाभ प्राप्त कर सकेगी, प्रान्तीय सरकार सोचती थी कि वह अपने नियत खर्च का प्रबंध बिना किसी घाटे के प्रदत्त साधनों में कर सकेगी या नहीं और तीसरी जो जनता की दृष्टि रही उसे तो 1921 तक प्रभावित होने का मौका ही नहीं मिला।

दूसरा दौर व्यय के उचित होने और आय के साधनों को अधिक उत्पादक बनाने की बजट की पद्धति का रहा। इस पद्धति के आँकड़ों से यह सिद्ध होता है कि प्रांतीय प्रबंध केन्द्रीय प्रबंध से अधिक बचत कर रहा है और समय पड़ने पर प्रान्तीय बचत की थोड़ी सहायता केन्द्र को भी दी जा सकती थी। तीसरा दौर पिछली दो अवस्थाओं से कई बातों में आगे और सुधार-उन्मुख रहा। इसमें राजस्व और व्यय के मदों के वहन करने की जिम्मेदारी केन्द्र और प्रान्त पर संयुक्त रूप से डाली गयी थी। यह पद्धति राजस्व की संयुक्त भागीदारी की पद्धति 'असाइनमेंट ऑफ बजेट बॉय शेअर्ड रेवन्यू' कहलाती है। इस दौर में केन्द्र का प्रान्तों के प्रति रवैया लचीला रहा और प्रान्तों की स्वायत्तता आर्थिक और वैधानिक रूप से स्थापित करने के लिए युक्त योजनाओं का प्रचलन रहा। जनता की मांग थी कि ब्रिटिश भारत में संसदीय शासन पद्धति में संसदीय कार्यपालिका भी हो और प्रान्तों को स्वतन्त्र व वैधानिक रूप से अपना सुधार स्वयं करने के लिए राजस्व और अन्य आर्थिक क्षेत्रों में स्वयं नीति निर्धारण का अधिकार प्राप्त हो।

इस प्रकार इम्पीरियल राजस्व का विकेन्द्रीकरण भारत के राजनीतिक और आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय है। उसका समालोचन और मूल्यांकन करते हुए हम कह सकते हैं कि, "ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारतीय समाजवाद के आरम्भ में अवरोधक रहा है जिसने भारतीय जीवन को पाशविक शांति और व्यवस्था प्रदान कर उसे भिखारी बना दिया।"

3. भारतीय कृषि :-

सिडनहाम कालेज ऑफ कॉमर्स एण्ड इकनॉमिक्स में पॉलिटिकल इकोनमी के प्रोफेसर डॉ. अम्बेडकर भारतीय कृषि की समस्याओं से बेखबर कैसे रह सकते थे? अतः बाबा साहेब ने कृषि सुधार संबंधी अपने सुझाव "भारत में लघु-भू-धारण की समस्याएं और समाधान" नामक शीर्षक वाले शोधपत्र में प्रस्तुत किये हैं।

बाबा साहेब के अनुसार पूर्णतः खेती पर निर्भर देश में कृषि के महत्व को कम नहीं आँका जा सकता। लघु और बिखरे खेत के टुकड़ों को मिलाना और एकसंघ खेती को स्थायित्व प्रदान करना ये दो प्रश्न खेती चकबन्दी के सम्मुख हैं। बड़ौदा स्टेट कमेटी की रिपोर्ट और प्रो. एच.एस.जेवहान्स और श्री जी.एफ. कीटिजे द्वारा अनुसंधित सुझाव का परीक्षण कर डॉ. अम्बेडकर ने अपना समाधान प्रस्तुत किया कि छोटे-छोटे खेत के टुकड़ों को जोड़ने से एकसंघ भूखण्ड तो बनेगा परन्तु उस भूखण्ड को दीर्घाकार भी होना चाहिए। क्योंकि एकसंघ बनाने से बिखरे खण्ड के दोष दूर होंगे परन्तु इसे विस्तारित बनाये बिना लघु भू-धारण के दोष दूर नहीं हो सकेंगे।

किसानों के खेत को विस्तारित करने का सीधा अर्थ उसका आर्थिक विस्तार या आदर्श आकार हो जाना नहीं है। आदर्श उपयुक्त खेत का पैमाना बताते हुए डॉ. अम्बेडकर ने कहा है, "यदि कृषि को आर्थिक संगठन समझा जाए, तो उसी से यह भी तय होता है कि भू-धारण में लघु या दीर्घ आकार की कोई बात ही नहीं होती है। किसान के खेत का छोटा या बड़ा होना यह उससे संलग्न अन्य उत्पादक साधनों के पैमाने पर निर्भर करता है। आकार आर्थिक तत्व से शून्य है। परिणामतः विस्तारित खेती को आर्थिक कहना अर्थशास्त्रीय नहीं है। खेत का आर्थिक या अनार्थिक होना खेत की इकाई के साथ अन्य साधनों के उचित या अनुचित अनुपात पर निर्भर है। भूमि और अन्य सभी घटकों के युक्त अनुपात से आर्थिक खेत का निर्धारण होता है।" उन्होंने बताया कि भारत में कृषि के दोषों को दूर करने का उपाय विस्तृत खेत की धारणा में नहीं बल्कि बृद्धिगत पूँजी और साधनों में है जिससे खेत के प्रत्येक टुकड़े को उसके आकार के अनुसार आर्थिक बनाया जा सके।

4. सहकारी खेती :-

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार सहकारी खेती साझेदारों की कम्पनी के समान होगी, जिसमें साझेदार के बदल जाने पर भी कम्पनी बनी रहती है। संगठित खेती के लिए विभिन्न मालिकों के छोटे खेतों को खेती के लिए एक बनाना आवश्यक है। लेकिन उस संगठित खेती का कोई एक ही मालिक होना जरूरी नहीं है। सहकारी खेती की स्थापना से किसान का स्वामित्व सुरक्षित रहेगा और उसे अपने खेत पर खेती करने की स्वतन्त्रता तब तक रहेगी जब तक वह अपने खेत के साथ लगे हुए खेत या खेतों के साथ संगठित करने और पूरा क्षेत्र खेती के लिए मानक आकार के बराबर या उससे बड़ा बनाने के लिए सहमत होगा।

छोटे किसानों के आर्थिक बोझ को घटाने और खेती के लाभ को बढ़ाने के लिए डॉ. अम्बेडकर की सहकारी खेती की योजना दोषमुक्त और लाभकारी कही जा सकती है।

5. रूपये का प्रश्न? :-

डॉ. अम्बेडकर का शोध ग्रंथ 'भारतीय चलन का प्रश्न' अथवा 'रूपये का प्रश्न' उसकी उत्पत्ति और उपाय' इस समस्या से संबंधित है। इसी को आगे चलकर 'भारतीय मुद्राचलन और बैंकिंग का इतिहास' नामक शीर्षक से प्रथम भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया।

इस ग्रंथ में बाबा साहेब उस सिद्धान्त का परीक्षण करते हैं जिस पर विनियम मापदण्ड का तात्त्विक आधार टिका हुआ है। उन्होंने एक परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराया कि मुद्रा संकट से संबंधित समस्याओं और उनके लिए प्रस्तावित समाधानों का मूल्यांकन जनसाधारण कर सकें। जनता की मांग थी कि देश में स्वर्णमान की स्थापना की जाए। परन्तु देश में स्वर्ण विनियम मान की स्थापना हो गई। डॉ. अम्बेडकर के इस शोध ग्रंथ में भारत में विभिन्न समयों में प्रचलित विभिन्न धातुमानों, विश्व की घटनाओं के भारतीय मुद्रा पर पड़ने वाले प्रभाव और भारतीय मुद्रा के संबंध में ब्रिटेन की नीतियों का विवेचन किया गया है।

तत्कालीन सभी प्रमुख अर्थशास्त्रियों के विरुद्ध एकमेव अम्बेडकर का ही ऐसा दृष्टिकोण रहा है कि भारतीय सरकार ने सर्वप्रथम अपने मुद्राचलन में स्वर्णमान की कल्पना की थी और वही मान उसको भविष्य में भी मजबूत मुद्रामानों में सबसे अधिक स्थायित्व प्रदान कर सकता है।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, "स्वर्ण फैलने और घटने वाला लचीला माध्यम है, परन्तु रूपया केवल फैलने वाला ही माध्यम है, और घटने वाला माध्यम नहीं है।" इसलिए मुद्रा का फैलाव ही मूल्यवृद्धि का मुख्य कारण है।

इसके विरुद्ध चेम्बरलेन कमीशन ने स्वर्णमान के स्थान पर स्वर्ण विनियम मान की स्थापना की वकालत की जिसके पक्ष में उसके निम्न चार तर्क थे—

(i) भारत में मुद्राचलन में स्वर्णमान लागू करने से भारतीय लोग स्वर्ण को बचा-बचा कर संग्रहित करते रहेंगे और आर्थिक संकट के समय उसका उपयोग नहीं होने देंगे।

(ii) भारत इतना गरीब देश है कि वह सोने जैसी मंहगी धातु के खर्च को झेल न सकेगा।

(iii) भारतीय लोगों का वाणिज्य व्यापार इतना छोटा है कि वह स्वर्णमान को मुद्राचलन में स्वीकार नहीं कर सकेगा।

(iv) भारतीय लोगों के लिए रूपयों में परिवर्तनीय 'पेपर' ही उसमें कम खर्च वाला होने से मुद्राचलन का सर्वश्रेष्ठ साधन है और स्वर्णमान का मुद्राचलन में आगमन नोटों और रूपयों की लोकप्रियता के विरुद्ध सिद्ध होगा।

उपरोक्त में से प्रत्येक तर्क की काट डॉ. अम्बेडकर ने प्रस्तुत किया जो कमशः निम्नवत हैं—

(a) पहले तर्क के उत्तर में डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि यदि लोग सोचें कि सोने की वर्तमान उपयुक्तता उसकी भावी उपयुक्तता से अधिक मूल्यवान है तो वे उसे संचित नहीं करेंगे। भारतीय लोग आर्थिक संकट के समय स्वर्ण का उपयोग नहीं होने देंगे यह आरोप भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे भी उदाहरण हैं जब जरूरत के समय कीमती धातुओं का भी भारत से निर्यात किया गया और फिर भारतीय तथा अभारतीय सभी लोग मुद्रा के संबंध में एक ही मानसिक प्रवृत्ति रखते हैं, भिन्न नहीं। किसी वर्ग विशेष की यह कोई विशिष्टता नहीं है।

(b) दूसरे तर्क के उत्तर में उन्होंने बताया कि गरीबी स्वर्ण के मुद्राचलन से बाहर होने का कारण नहीं हो सकती। स्वर्ण के मुद्राचलन से बाहर होने का कारण अन्य प्रकार की पर्यायी मुद्रामान ही है, जो अतिरिक्त मात्रा में मुद्राचलन में प्रविष्ट होती है और ग्रेशम के नियम 'सस्ती धातु मंहगी धातु को चलन से बाहर कर देती है' के अनुसार स्वर्ण को भी मुद्रा चलन से बाहर कर देती है। इसीलिए भारत ही नहीं बल्कि कोई भी देश स्वर्णमान को मुद्राचलन में लागू कर सकता है बशर्ते कि वह सस्ती पर्यायी मुद्रा को मुद्राचलन में स्वीकार न करे।

(c) तीसरे तर्क के उत्तर में डॉ. अम्बेडकर कहते हैं कि मुद्राचलन की जो भी इकाई हो वह ऐसी होनी चाहिए जिसका भार और आकार वाणिज्य के लिए सुविधा प्रदान करे। उनके अनुसार छोटे वाणिज्य में वाणिज्य को सुविधा प्रदान करने वाली इकाई पर्याप्त छोटी होनी चाहिए और स्वर्ण इस उद्देश्य के लिए निश्चित रूप से अनुपयुक्त नहीं होगा।

(d) डॉ. अम्बेडकर ने चेम्बरलेन कमीशन के चौथे तर्क को भी आधारहीन बताया। उनके अनुसार यह सत्य है कि 'पेपर' मान ही सबसे कम खर्च वाला है। परन्तु यदि 'पेपर' को असुरक्षित ढंग से खाते की इकाई में परिवर्तनीय बनाया गया तो यह उस इकाई का मूल्य गिरने से बचा नहीं सकता। इसलिए आर्थिक होने पर भी 'पेपर' को मुद्राचलन में बदला गया तो वह रूपये के मूल्य के लिए एक खतरा होगी। अतः रूपये को एक सीमित मात्रा तक ही चलन में रखा जाय और उसे अपरिवर्तनीय बनाया जाना चाहिए। और इससे भी बेहतर यह होगा कि रूपये को एक सीमित मात्रा तक ही चलन में रखा जाय और उसे अपरिवर्तनीय बना दिया जाय।

निष्कर्ष यह है कि भारतीय परिस्थितियों में मुद्राचलन में स्वर्णमान को स्वीकार करना रूपये की मूल्य स्थिति को गिरने से बचाने और दृढ़ मान कायम रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय है।

परन्तु फाऊलर कमेटी की मुद्राचलन के संबंध में यह सिफारिश थी कि भारत सरकार स्वर्णमान के साथ-साथ रूपये का भी चलन अपनी मर्जी के अनुसार करे। परन्तु स्वर्णमान और रूपये का साथ-साथ चलन परस्परनाशक सिद्ध होता है। अतः बाबा साहेब ने सुझाव दिया कि भारत सरकार को रूपयों को द्रवित कर 'बुलियन' के रूप में बेंच देना चाहिए और इससे प्राप्त राशि का उपयोग राजस्व में करें तथा उत्पन्न रिक्तता को अपरिवर्तनीय 'पेपर' करेंसी से पूर्ण करे।

उनका सुझाव सार रूप में इतना ही था कि टकसालें बन्द कर दी जायं ताकि भारतीय मुद्राचलन, स्वर्ण टेंडर और रूपये के सीमित मात्रा के निर्धारण पर आधारभूत होकर अंग्रेजी मुद्राचलन प्रणाली में निहित तत्वों के साथ एक रूप हो जाय।

इस प्रकार डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि मूल्य दर वृद्धि के बुरे परिणामों से भारतीयों को बचाने के लिए मूल्य दर को स्थिर करने की उच्चतम और आवश्यकताओं से उत्पन्न एक हित दृष्टि रही है जिसके कारण ही उन्होंने स्वर्णमान की मुद्राचलन में सिफारिश की।

डॉ. अम्बेडकर के विचार आज भी प्रासांगिक हैं जिसमें कहा गया है कि मुद्रा स्फीति बढ़ जाने से मंहगाई बढ़ती है और आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ती है। अन्ततोगत्वा सरकार का बजट भी घाटे का होता है। तब रिजर्व बैंक नोट छापने का कार्य तीव्र गति से जारी

रखता है जिसके फलस्वरूप भावों में बढ़ोत्तरी होती रहती है। इसलिए रिजर्व बैंक के मुद्रा कार्यों पर नियन्त्रण रखना जरूरी है। डॉ. अम्बेडकर ने जो बात 1921 में बताई थी वह आज भी सत्य साबित हो रही है।¹

6. बजट :-

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार बजट को राजस्व और व्यय दोनों संदर्भों में देखा जाना चाहिए। बजट के संदर्भ में वित्त सदस्य या सरकार तथा करदाता दोनों का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। वित्त सदस्य के दृष्टिकोण से देखने पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे किस राजस्व प्रणाली को विश्वसनीय समझना चाहिए? राजस्व की जो मदें हैं उनसे राजस्व की कितनी मात्रा निश्चित रूप से प्राप्त हो सकती है और उनसे वह कैसे अपने वित्त व्यवस्था के कार्यभार का प्रबंध कर सकता है। करदाताओं के दृष्टिकोण से विचार करने पर प्रश्न उठता है कि क्या समाज के सभी आर्थिक वर्गों पर लगाया जाने वाला जो राजस्व का कर है वह भेदभावपूर्ण तो नहीं है? क्या कर करदाता की क्षमता के अनुसार मान्यता प्राप्त सिद्धान्तों के आधार पर ही वसूला जाता है या नहीं?

राजस्व के संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर ने राज्य को सुझाव दिया कि, “लोगों की समृद्धि ही राज्य की सबसे बड़ी धरोहर होती है उन्हें दयनीय या भिखारी नहीं बना देना चाहिए। जो राज्य अपनी जनता को भिखारी बना देता है अंततः वह खुद भी भिखारी हो जाता है।”²

व्यय के संदर्भ में बजट पर विचार किया जाय तो घाटे के बजट का उदाहरण आता है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार घाटा कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे भयभीत होना चाहिए। यदि घाटा किसी सामाजिक विकास की बड़ी नीति को अपनाए जाने के परिणाम स्वरूप हुआ हो तो इसमें घबराने की बात बिल्कुल ही नहीं है। हाँ यदि घाटा पूर्णतः प्रशासन के अनुत्पादक खर्च में बढ़ोत्तरी के कारण हो और प्रशासन की गुणवत्ता उसे न्याय न दे सके या सामान्य प्रशासन व्यय बहुत ज्यादा हो या फिजूलखर्ची हो तो चिंता की बात अवश्य होनी चाहिए। यदि घाटे का बजट अनिवार्य शिक्षा, चिकित्सा की सुविधा, नशाखोरी से लोगों को मुक्ति दिलाने और जीवन की सभी केन्द्रित सुविधाओं को उपलब्ध कराने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ हो तो इसे न्यायोचित ठहराया जा सकता है।

बजट के बारे में सरकार का क्या दायित्व होना चाहिए इस पर अपना वक्तव्य देते हुए बाबा साहेब ने कहा है, “कोई भी सार्थक सरकार जो अपने दायित्वों के प्रति गम्भीर है, गरीबों से यह नहीं कह सकती है कि वह उन्हें सुविधाएँ नहीं दे सकती क्योंकि उसमें कर लगाने का साहस नहीं है।”³

बाबा साहेब के अनुसार हमारे वित्तमंत्री को चाहिए कि बजट से संबंधित राजस्व के प्रति वे ज्यादा जोर दक्षता पर दें और जनकल्याणकारी मदों के विनियोग में वे उसकी फलश्रुति पर अधिक ध्यान रखें।

7. बीमा का राष्ट्रीयकरण :-

आज बीमा हमारे सामाजिक सुरक्षा का एक अनिवार्य अंग बन गया है। डॉ. अम्बेडकर ही एक ऐसे चिन्तक थे जिन्होंने बहुत पहले बीमा के राष्ट्रीयकरण का सुझाव दिया। इससे न केवल लोगों के आर्थिक हितों की सुरक्षा होती है, अपितु राज्य की अर्थव्यवस्था को भी भारी बल मिलता है।⁴ वे चाहते थे कि बीमा राज्य के एकाधिकार में रहे। इसके पीछे उनके दो मुख्य उद्देश्य थे—

(i) राष्ट्रीयकृत बीमा वैयक्तिक बीमाधारी को प्राइवेट बीमा कम्पनी की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि प्राइवेट कम्पनी अपने भुगतान के लिए राज्य के ही हाथों में पूर्णतः निर्भर रहता है।

(ii) राष्ट्रीयकृत बीमा से राज्य को जो धनराशि प्राप्त होगी उसका उपयोग वह अपनी आर्थिक योजनाओं में कर सकता है अन्यथा वह राशि उसे ऊँची ब्याज दर पर कहीं से उधार लेनी पड़ेगी।

उन्होंने न केवल सुझाव दिया कि बीमा व्यवस्था राज्य के अधिकार में हो, अपितु इस बात पर भी बल दिया कि “राज्य प्रत्येक नागरिक को बीमा पॉलिसी लेने के लिए बाध्य करे।”

8. औद्योगिकरण विषयक विचार :-

डॉ. अम्बेडकर सभी प्रकार के उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं थे। उनका मत था कि जो मुख्य उद्योग हैं अथवा जिन्हें मुख्य उद्योग घोषित कर दिया जाय, उन्हें राज्य द्वारा संचालित किया जाय। उनका यह भी सुझाव था कि वे उद्योग जो मुख्य उद्योग नहीं हैं, मात्र मूलभूत उद्योग हैं, उनको भी राज्य द्वारा अथवा उन नियमों द्वारा चलाया जाना चाहिए जिन्हें राज्य स्थापित करे। वस्तुतः मुख्य या मूलभूत उद्योगों का उस ढंग से राष्ट्रीयकरण, जिसे डॉ. अम्बेडकर ने सुझाया, भारतीय समाज के निर्धन एवं कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा करेगा। राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को डॉ. अम्बेडकर ने शोषित वर्गों के हितों से ही जोड़ा था, हालांकि वर्तमान समय की सरकारों ने निजीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दे रखा है जो यहां के निर्धन एवं कमजोर वर्गों का अहित करेगी।

डॉ. अम्बेडकर ने अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्रों का विरोध नहीं किया। उनका स्पष्ट मत था कि मूलभूत उद्योगों के अलावा उत्पादन के कुछ क्षेत्रों को निजी जोखिमधारियों को सौंपा जाना चाहिए। किन्तु उन्हें समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए कि किन-किन उद्योगों का संचालन राज्य करेगा, कौन-कौन से उद्योग निजी क्षेत्र को दिये जायेंगे अथवा कौन से उद्योग निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों में रखे जायेंगे।

वे जानते थे कि निजी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का शीघ्रगामी औद्योगिकरण नहीं कर सकता क्योंकि उसका मुख्य ध्येय अधिकाधिक लाभ कमाना होता है। भारतीय गांवों की अर्थव्यवस्था निर्धन लोगों की सहायता नहीं करती और पूँजीपति, जमींदार तथा साहूकार उनके पिछड़ेपन का लाभ उठाते हैं। निजी क्षेत्र भी यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीयकरण का प्रयास करते हैं तो वह आर्थिक असमानता में वृद्धि करेगा, श्रमिकों के शोषण में वृद्धि होगी और अन्य बुराइयों भी उत्पन्न होंगी जो किसी पूँजीवादी व्यवस्था में निहित होती हैं। वे केवल श्रमिकों के जीवन स्तर को ही ऊँचा नहीं उठाना चाहते थे अपितु राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी समृद्धि चाहते थे ताकि यहां के दलित वर्गों तथा

अल्पसंख्यकों की निर्धनता एवं विपन्नता को समाप्त किया जा सके।⁹

9. डॉ. अम्बेडकर एवं आर्थिक नियोजन :-

डॉ. अम्बेडकर के उपरोक्त आर्थिक विचारों से स्पष्ट है कि भारतीय आर्थिक सुधारों में उनका महान योगदान रहा है। देश के विकास के लिए बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के विकास में भी उनकी अहम भूमिका रही है। इस क्षेत्र में उनका योगदान निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट है—

(A) दामोदर नदी पर बाँध का निर्माण :-

भारत में इस कार्य को सम्पन्न कराने की जिम्मेदारी डॉ. बी.आर. अम्बेडकर को सौंपी गयी। डॉ. अम्बेडकर ने इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण रूप से विभाग के सचिव एवं अन्य अधिकारियों पर नहीं छोड़ा। अपने स्वभाव के अनुसार वह टिनेसी घाटी परियोजना अमेरिका संबंधी पुस्तकें इकट्ठी करने तथा उनके अध्ययन में लग गये। इसके अतिरिक्त भारत में भी इस प्रकार की परियोजनाओं का उन्होंने अध्ययन किया। सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन के संदर्भ में पंजाब में हुए प्रयोगों का भी अध्ययन उन्होंने किया।

श्रम विभाग के अन्तर्गत एक केन्द्रीय ऊर्जा आयोग का गठन डॉ. अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया। यह आयोग नदी, बाँध, विद्युत उत्पादन आदि विषयों के संदर्भ में गठित किया गया। कालान्तर में केन्द्रीय जलमार्ग तथा जल यातायात संबंधी आयोग भी गठित किया गया। इन समस्त कार्यों में बाबा साहेब की भूमिका अहम रही।

(B) जल मार्ग विकास :-

डॉ. अम्बेडकर जब दामोदर घाटी परियोजना संबंधी समस्याओं के निस्तारण में लगे थे तभी उड़ीसा के एक प्रमुख नेता हरिकिशन मेहताब जो कि उस समय जेल में थे ने पत्र द्वारा श्री अम्बेडकर से आग्रह किया कि दामोदर परियोजना के साथ-साथ महानदी परियोजना के संबंध में भी विचार करें। नवम्बर 1945 में जब प्रशासन भारतीयों को सौंपे जाने की बात चल रही थी, डॉ. अम्बेडकर ने संबंधित राज्यों की कटक में एक सभा आयोजित की और इस सभा में उन्होंने जलमार्ग के विकास के महत्व पर बल दिया।

डॉ. अम्बेडकर की भूमिका की प्रशंसा करते हुए हार्ट महोदय जो 'रिवर्स ऑफ इण्डिया' के लेखक हैं कहते हैं, "तीस महीनों तक दामोदर परियोजना संबंधी नियोजन कार्य राजनैतिज्ञों के हाथों में रहा, किन्तु इस परियोजना के विकास को सफलता पूर्वक विकसित करने का श्रेय तत्कालीन श्रम मंत्री डॉ. अम्बेडकर के निष्ठा एवं लगन को जाता है।"

(C) अणुशक्ति द्वारा बाढ़ नियन्त्रण :-

डॉ. अम्बेडकर ने श्री सी.एन. पिल्लई से अनुरोध किया कि उन्हें नदियों के बाढ़ संबंधी स्थाई योजना का पूर्ण विवरण दें। श्री पिल्लई ने बताया कि परमाणु विज्ञान के विकास से इस समस्या के स्थाई निदान की आशा बलवती हो गयी है। दुःख का कारण बनने वाली इस नदी को नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रणाली के कार्यान्वयन को वे भली-भाँति समझ सकते हैं, जो ओम के संतप्तिकरण तथा करंट संबंधी नियम से परिचित हैं। आज आणविक संयंत्रों द्वारा नदी की गहराई का पता लगाकर इसके जलस्तर को नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार बाढ़ के समय जल बहाव को नियंत्रित किया जा सकता है कि यह सिंचाई तथा ऊर्जा उत्पादन संबंधी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। आवश्यकता से अधिक जल वाष्पीकृत भी किया जा सकता है।

(D) जल सम्पदा :-

उड़ीसा में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन है। डॉ. अम्बेडकर ने उड़ीसा में निर्धनता के कारण के विषय में कहा कि यह इसलिए है क्योंकि उड़ीसा ने अपनी जल सम्पदा का भरपूर उपयोग नहीं किया है। डॉ. अम्बेडकर ने सुझाव दिया कि उड़ीसा को भी अमेरिका की उस योजना का अनुकरण करना चाहिए जिसके द्वारा उस राष्ट्र ने अपनी नदियों संबंधी समस्याओं का निराकरण किया है। इस योजना के अंतर्गत नदी पर विभिन्न स्थानों पर बाँध बनाकर जल को स्थाई रूप से विशालकाय जलाशय में एकत्रित किया जाता है। इन जलाशयों से सिंचाई के लिए जल की प्राप्ति हो सकती है। यदि महानदी के सारे जल को एकत्रित करना संभव हो जाये तो इससे 3. लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई हो सकती है।

(E) आन्तरिक जल यातायात :-

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट में आंतरिक जल यातायात के लिए विशेष प्रावधान किए गये थे। आज जितनी भी यातायात नहरें भारत में हैं इसी नीति का परिणाम हैं। बाद में रेल यातायात का विकास हुआ तथा कुछ समय तक जल यातायात तथा रेल दोनों को समान महत्ता प्रदान करने की नीति रही। लेकिन बाद में इस बिन्दु पर विवाद उठ खड़ा हुआ। दुर्भाग्यवश रेल को प्राथमिकता प्रदान करने के पक्षधर व्यक्तियों की जीत हुई। डॉ. अम्बेडकर यातायात नहरों की अपेक्षा रेल को प्राथमिकता दिये जाने से संतुष्ट नहीं थे।

10. राज्य समाजवाद :-

बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अर्थशास्त्रीय विचारों की श्रृंखला में उनकी राज्य-समाजवाद संबंधी अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं मुख्य है। वह राज्य समाजवाद को समाजवाद का व्यावहारिक एवं मध्यम मार्ग मानते हैं। राज्य-समाजवाद का जितना

व्यवहारिक रूप उन्होंने प्रस्तुत किया उतना अन्य अर्थशास्त्री न कर सके। उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति को देखकर राज्य समाजवाद का नारा बुलन्द किया, ताकि राज्य द्वारा उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण हो।

डॉ. अम्बेडकर पूंजीपतियों को समाप्त करने की बात नहीं करते थे, क्योंकि आर्थिक विपन्नता एवं निर्धनता का समस्त उत्तरदायित्व उन पर ही नहीं थोपा जा सकता है। निःसंदेह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने मानव समाज की सेवा की है, पर साथ ही साथ अनेक सामाजिक एवं आर्थिक बुराइयों को भी जन्म दिया है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं मानव सम्मान में बाबा साहेब की इतनी आस्था थी कि वह पूंजीपतियों की आर्थिक मनोवृत्ति में मौलिक परिवर्तन चाहते थे न कि उनका अन्त जैसा कि साम्यवादी देशों में हुआ था। उनका कहना था का यदि पूंजीपतियों को सम्मान पूर्वक रहना है तो उन्हें चाहिए कि वे श्रमिक वर्ग को अधिक से अधिक वेतन दें और उनके दुःख-दर्द में सम्मिलित हों। श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा की संभावनाओं को भी बढ़ाना उनका काम है। डॉ. अम्बेडकर को यह शंका अवश्य थी कि पूंजीवाद देश का औद्योगीकरण कर सकता है अथवा नहीं। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर यह जाना कि पूंजीवाद ऐसा नहीं कर पायेगा। इसलिए उन्होंने कहा “राज्य समाजवाद भारत का औद्योगीकरण करने के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं कर सकती है। यदि उसने ऐसा किया तो वे ही आर्थिक असमानताएं उत्पन्न हो जायेंगी जो पूंजीवाद ने यूरोप के अन्दर पैदा की हैं। भारत के लोगों के लिए यह एक चेतावनी है।”⁷

केवल भारत में औद्योगीकरण के लिए ही नहीं, डॉ. अम्बेडकर ने यहां के कृषि क्षेत्र में भी राज्य-समाजवाद की बात कही। उन्होंने कहा, “खेती के क्षेत्र में सामूहिक पद्धति के साथ-साथ और एक संशोधित रूप में उद्योग के क्षेत्र में राज्य-समाजवाद का होना आवश्यक है।”⁸

डॉ. अम्बेडकर ने राज्य को आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम माना था। वह राज्य की अधिकतम रचनात्मक भूमिका के पक्ष में थे। अपने राज्य-समाजवाद के कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्होंने बीमा कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण का भी सुझाव दिया।

डॉ. अम्बेडकर ने राज्य समाजवाद के सिद्धान्त को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से जोड़ा ताकि राज्य का हस्तक्षेप तो रहे पर व्यक्ति की स्वतन्त्रता को लोप न होने पाये। वह चाहते थे कि संविधान द्वारा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकारों और आर्थिक हितों की गारण्टी दी जाय। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार निर्धन और भूखे-नंगे लोगों के लिए मौलिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है। उनके अनुसार “भूखे मरने का भय, मकान चले जाने का भय, बचत न हाने का भय, जन-धन से मरने के पश्चात दफनाए जाने का भय आदि ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से बेकार लोग अपने मौलिक अधिकारों को भी त्याग सकते हैं अर्थात् जीविका कमाने के लिए और जीवित रहने के लिए वे अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।”⁹

डॉ. अम्बेडकर किसी भी रूप में तानाशाही के विरुद्ध थे, चाहे वह पूंजीपति की हो अथवा राज्य की। उन्होंने कहा, “जनसाधारण की स्वतन्त्रता की सुरक्षा करने के लिए सरकार की स्वेच्छाचारी नीति को सीमित करना ही पर्याप्त नहीं, वरन् उन साधन सम्पन्न या शक्तिशाली वर्गों की स्वेच्छाचारी शक्ति को भी सीमित करना आवश्यक है जिनका आर्थिक क्षेत्र पर अधिपत्य है। वह केवल उसी समय सम्भव होगा जब समाज के आर्थिक क्षेत्र से उनके अधिपत्य का अन्त किया जाय।”¹⁰

डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि में राज्य एक बुराई नहीं है वरन् एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा सशक्त साधन है, जो जनता की भलाई के लिए अनेक कल्याणकारी कार्य कर सकता है। राज्य-समाजवाद के अन्तर्गत वैयक्तिक स्वतन्त्रता की रक्षा करने के साथ-साथ डॉ. अम्बेडकर चाहते थे कि, “राज्य समाजवाद की स्थापना संसदीय जनतंत्र को समाप्त किये बिना होनी चाहिए, लेकिन साथ ही उसकी स्थापना के लिए संसदीय जनतंत्र की कृपा पर भी निर्भर नहीं रहना है।”¹¹

डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि संसदीय जनतंत्र राज्य समाजवाद की स्थापना के लिए उपयुक्त नहीं है। जनतंत्र के स्थान पर तानाशाही ही एक ऐसी व्यवस्था है जो आर्थिक योजनाओं को स्थायित्व दे सकती है, परन्तु व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आस्था रखने वाले लोग इसे किसी भी कीमत पर नहीं स्वीकार करेंगे। अतः मूल प्रश्न यह है: राज्य समाजवाद की स्थापना तानाशाही के बिना, संसदात्मक जनतंत्र के साथ किस प्रकार की जाय? डॉ. अम्बेडकर ने इस प्रश्न का उत्तर स्वयं दिया है, “समस्या इस प्रकार हल हो सकती है कि संसदात्मक प्रजातन्त्र एवं राज्य समाजवाद को संविधान की धाराओं द्वारा लाया जाय, ताकि संसदात्मक बहुमत उसे बदल न सके और न समाप्त कर सके। केवल ऐसा करने से ही हम तीनों उद्देश्यों समाजवाद की स्थापना, संसदात्मक प्रजातन्त्र की सुरक्षा और तानाशाही का लोप की सम्पूर्ति कर सकेंगे।”¹² निःसंदेह डॉ. अम्बेडकर ने जिस जनतांत्रिक समाजवाद का विचार दिया वह भारत की निर्धन शोषित बहुजन समाज के लिए आज भी प्रासंगिक है। भारतीय समाज एवं राजनीतिक दलों में कुछ ऐसे तत्व हमेशा रहे हैं जो पूंजीवाद के भक्तों के साथ साठ-गांठ कर यहां के अर्थतन्त्र को उदार व स्वतन्त्र बनाना चाहते हैं। ये उदारवादी तथा स्वतन्त्र बाजार व्यवस्था के हिमायती, भारत की यथार्थता की उपेक्षा कर रहे हैं। भारतीय समाज की यथार्थता क्या है? यहां की 85 प्रतिशत जनसंख्या खेतिहर है जो देहाती क्षेत्र में रहती है उनके सभी क्रियाकलाप कृषि पर आधारित हैं और गांवों में सड़कें, बाजार, पूंजी निवेश नहीं हैं। गांवों में संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य केन्द्रों यहां तक कि स्वच्छ पीने के पानी का अभाव है। यह भारत की 85 प्रतिशत जनसंख्या की यथार्थता है न कि उस 15 प्रतिशत अमीर तथा सुविधाभोगी जनसंख्या की जो भारत के बड़े शहरों में रहती है। भारतीय समाज की एक अन्य यथार्थता यहां की जातिगत संरचना है जो कुछ को अपार सुविधाएं एवं अधिकार देती है और बहुसंख्यक को निरक्षरता, गरीबी, दरिद्रता, उत्पीड़न, अन्याय, बंधुआश्रम, बेगार आदि का जीवन प्रदान करती है। समाज का जातिगत ढांचा अपने निकृष्ट रूप में उभर कर आ चुका है। जो समान आर्थिक सुधारों एवं सुविधाओं का शत्रु है। ऐसी स्थिति की उपेक्षा करना बड़ी भूल होगी, जिसके कारण 85 प्रतिशत स्त्री पुरुष पीड़ित हैं।

उदारीकरण एवं निजीकरण द्वारा अनेक आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। जैसे हमारी सड़कों एवं बाजारों में नयी-नयी कारें, दुकानों में नये तथा फैंसी विदेशी घरेलू उपकरण, हवाई जहाजों की बढ़ती सुविधाएं, आयात किए हुए अनेक इलेक्ट्रॉनिक सामान, विदेशी वस्त्रादि। भले ही इन्हें भौतिक प्रगति का संकेत समझा जाय किन्तु इससे असमानता एवं आश्रित होने की भावनाएं लोगों में बढ़ी हैं। निर्धन अधिक निर्धन तथा अमीर अधिक अमीर होता जा रहा है। ऐसा क्यों? उदारीकरण तथा निजीकरण दोनों के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। सरकार और

अति-उत्साही सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग तो विदेशी निवेश और सोना इकट्ठा करने में व्यस्त है। आम आदमी को तो दाल रोटी चाहिए जो दिनोदिन मंहगी तथा दूभर होती जा रही है। इसका ध्यान निजी निवेशक अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं अपितु सरकार ही कर सकती है। ऐसे में भारत के संदर्भ में वही अर्थनीति सार्थक कही जा सकती है जिसमें समता, स्वतन्त्रता, बंधुता और न्याय के महान आदर्शों पर आधारित राज्य-समाजवाद को सम्मिलित किया जाय।

आज हम भारतीय प्रजातन्त्र और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के सातवें दशक में प्रवेश कर चुके हैं। भारतीय संघ ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए अपनी वचनवद्धता संविधान के आमुख में दिग्दर्शित की है। इस दशक में यदि हम अपने कल्याणकारी राज्य की आर्थिक नीति में बाबा साहेब अम्बेडकर के उपर्युक्त आर्थिक दर्शन को प्रयोग में ला सकें तो ही हम भारत में समता, स्वतंत्रता एवं बंधुता पर आधारित आर्थिक व्यवस्था का निर्माण कर सकेंगे।”

संदर्भ—

1. नायक, सी.डी. : इनइक्विलिटी ऑफ रिलीजन्स एण्ड नीड फॉर कनवर्शन विद स्पेशल रिफरेन्स टू बुद्धिज्म एण्ड डॉ. अम्बेडकर 1995 : पृ. 1.
2. गजभीये। वाघमारे : भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर, विचार मंथन, खण्ड-2 बुद्धिभूमि प्रकाशन, नागपुर, 1997 : पृ. 62.
3. डॉ. अम्बेडकरस रायटिंग एण्ड स्पीचेस, महाराष्ट्र शासन, बांबे, 1994, पृ. 17.
4. डॉ. अम्बेडकरस रायटिंग एण्ड स्पीचेस, महाराष्ट्र शासन, बांबे, 1994, पृ. 34.
5. स्मारिका : 199.-94 : पृ. 13.
6. जाटव, डी.आर. : अम्बेडकर का आर्थिक वर्णन नामक शोध पत्र, फरवरी, 1991
7. अम्बेडकर, बी. आर. : स्टेट्स एण्ड माइनोंरिटीज बांबे, पृ. 31.
8. अम्बेडकर, बी. आर. : स्टेट्स एण्ड माइनोंरिटीज बांबे, पृ. 31.
9. अम्बेडकर, बी. आर. : स्टेट्स एण्ड माइनोंरिटीज बांबे, पृ. 32.
10. अम्बेडकर, बी. आर. : स्टेट्स एण्ड माइनोंरिटीज बांबे, पृ. 33.
11. अम्बेडकर, बी. आर. : थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, स्वयं द्वारा प्रकाशन, दिल्ली, 1955 पृ. 34.
12. अम्बेडकर, बी. आर. : थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, स्वयं द्वारा प्रकाशन, दिल्ली, 1955 पृ. 34.



डॉ. अशोक कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), राजकीय महिला महाविद्यालय हरैया, बस्ती (उ.प्र.), भारत।

Publish Research Article

International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper, Summary of Research Project, Theses, Books and Book Review for publication, you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed, India

- * International Scientific Journal Consortium
- * OPEN J-GATE

Associated and Indexed, USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Database
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005, Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.aygrt.isrj.org